

फर्दअंहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... तालेडा .....


जितेन्द्र भाटनापू बलाठ वनाम सरकार


किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 88, 89 RTA Act नं. 208 / दावा / सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	न रा अह इ की में र
5/9/24	वाद पत्र सरिस्ते से वाद रिपोर्ट होकर पेश हुआ। वादी मय अभिभाषक उपस्थित हुए। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक <u>7/10/2024</u> को पेश हो।	
7/10/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज प्राया उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवाही बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेंस पर है। अतः भवनी सांखिक कार्यवाही हेतु दिनांक <u>16/12/24</u> को पेश है	
16/12/24	<del>पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी का जोखिम खर्च तामील गुण पत्रावली वास्ते पेश करने पत्रावली बख्शाए है। दिनांक 30/12 को पेश हो</del>	
30/12/24	पत्रावली द्वारा दिनांक को राष्ट्रीय बोनस अफावत कीम तालेडा में पेश हुई। पत्रावली का अप्पोजान्त अपलोडन किया गया। पत्रावली के अंतर्गत रेकर्ड नगण्य जमाकर्दी बख्शाए 8076 ग्याता फंक्शण नपा 133 पुराना 116 खण्ड 355 खण्ड 4. 8339 ई० वाले साम नेचरा योम 0 अणतामा के अपलोडन में खण्ड ई के उक्त जमाकर्दी में उणदीत पुग नपुवाना ही अंकिता है किन्तु वादी द्वारा उक्त फंक्शण ग्राह्यार कडि फंक्शण 5165 4201 5081 खंख वटमीलिदार तालेडा	

की रिपोर्ट का अपलोड करने में यह स्पष्ट है कि  
 रणजीत व नितेन्द्र कण ही व्यक्ति है वय वीरवार  
 रेकार्ड में अमल परामर्श प्राप्ति की परिवारदान द्वारा  
 प्राप्ति का नाम होवते नाम पर रणजीत वंजित  
 करवा दिया तबले प्राप्ति का सही नाम नितेन्द्र था।  
 मीना रिपोर्ट अनुसार भी रणजीत व नितेन्द्र दोनों नाम  
 कण ही व्यक्ति के है। नितेन्द्र को घर पर रणजीत  
 कहकर बुलाते है। प्राप्ति का प्रवृत्त दस्तावेजों के  
 नमीतपुरा की भूमि की नकल में प्राप्ति का नाम नितेन्द्र  
 अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के रिपोर्ट  
 तहसीलदार की आधार पर वाद पत्र जारी स्वीकार  
 किया जाना आवेचित प्रतीत होता है। अतः वाद पत्र  
 जारी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तातेडा को  
 आवेजित किया जाता है कि शतस्थान सु-बास्व अधिसूचना  
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में नमाख्दी अख्त  
 8076 अथवा अंख्या नया 133 फ़ाज 186 अथवा 355  
 अथवा 8.8335 के वाले पैगम नेणद पं० अं० अख्तामा  
 में जारी का नाम रणजीत पुत्र नाथुलाल के अघान पर  
 रणजीत उर्फ नितेन्द्र पुत्र नाथुलाल अंकोषित किया जावे  
 शेष उन्हादि उद्वेकुर लखा जावे। पत्रावली फ़ैसल बुजार  
 होकर नमूदा से काज ही। बाद तागील तहसील  
 निपमानुसार फ़ासिल फ़ातर हो।

यह फ़ैसल ताग फ़ैसल अख्तामा को राष्ट्रीय  
 को अघावत में अरेडवताय बुजपां अजा।

  
 सदस्य  
 राष्ट्रीय लोक अदालत  
 कैव संख्या ०/.....

  
 अध्यक्ष  
 राष्ट्रीय लोक अदालत  
 कैव संख्या ०/.....  
 न्यायाधिकारी  
 ग्राम न्यायालय, तातेडा (बून्दी)